न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2026-147RAABarmer2026-69RTA223 Ranchhodsingh Vs Lrs of Bhopalsingh etc

रणछोडसिंह पुत्र हेमसिंहजी कौम राजपुरोहित निवासी भिण्डाकुआ तहसील पचपदरा जिला बालोतरा।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. भोपालसिंह पुत्र हेमसिंहजी के कायम मुकामः–
   1.1. सतीशसिंह उर्फ जितेन्द्र पुत्र भोपालसिंहजी
   1.2. रवि कुमार उर्फ राहुल पुत्र भोपालसिंहजी
   1.3. पवनदेवी पत्नी भोपालसिंहजी
   1.4. राजेन्द्रसिंह उर्फ लजपत पुत्र भोपालसिंहजी

   सभी जातियान राजपुरोहित निवासियान भिण्डाकुआ तहसील पचपदरा जिला बालोतरा।
2. शंकरसिंह पुत्र वागसिंहजी कौम राजपुरोहित निवास भिण्डाकुआ तहसील पचपदरा जिला बालोतरा।
3. शाखा प्रबंधक एसबी आई बैंक शाखा आसोतरा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 दिसंबर 2025 सहायक कलक्टर बालोतरा राजस्व मूल वाद संख्या 47/2023 शंकरसिंह बनाम भोपालसिंह इत्यादि

उपस्थित–

श्री सुरेश कुमार सोनी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट

श्री रोशनलाल अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1/1 से 02

नि र्ण य

दिनांक : 27 मई 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 47/2023 अनवान शंकरसिंह बनाम भोपालसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 दिसंबर 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 23 फरवरी 2026 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या दो /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के तहत इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा बिठूजा तहसील पदपदरा के खसरा नंम्बर 1072/419 रकबा 1.6187 हैक्टेयर एवं खसरा नंम्बर 1080/419 रकबा 1.6187 हैक्टेयर के संबंध में विभाजन एवं स्थाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी/अपीलांट की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वाद का खण्डन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2024 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलांट की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियॉ प्रस्तुत की गई। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आपत्तियों को स्वीकार करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार से पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलांट की ओर से पुनः आपत्तियॉ प्रस्तुत की गई। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए दिनांक 24 दिसंबर 2025 को अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03.02.2024 में खसरा नंबर 1072/419 की भूमि में बनें अपीलान्ट के रहवासी घर, टांके व पशुओ के वाडे इत्यादि को रेस्पोडेन्ट नंबर 2 के हिस्से में रखे जाने एवं विभाजन प्रस्ताव में पक्षकारान के हक हिस्से की भूमि तक आने जाने रास्ते का कोई प्रावधान नही रखे जाने पर अपीलांट की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियॉ प्रस्तुत की गई, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार कर पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये। विचारण न्यायालय के उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार द्वारा दुबारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18.09.2025 तैयार कर भेजा गया जो मात्र पूर्व विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03.02.2024 की पेस्ट कॉपी था। अपीलान्ट द्वारा उक्त नियम विरूद्ध विभाजन प्रस्ताव पर पुनः आपति पेश की गयी कि तहसीलदार पचपदरा मौके पर नही आये, न अपीलान्ट को नोटिस देकर सुचना दी गई, विभाजन प्रस्ताव अपीलान्ट की मौजूदगी में नहीं बनाया गया है। खसरा संख्या 1072/419 में जो भूमि वादी/रेस्पोडेन्ट नं 2 के हिस्से में बतायी गयी है, उसमें अपीलान्ट का रहवासी घर, टांका, पशुओ के बाडे बने हुऐ है। रेस्पोटेन्ट नंबर 2 के हिस्से रख दिये है, जिससे अपीलान्ट के साथ अन्याय हुआ है तथा उसे अपना घर छोडने को मजबुर होना पडेगा तथा अपीलान्ट के हिस्से की भूमि तक आने जाने हेतु रास्ते की कोई व्यवस्था नही रखी है। विचारण न्यायालय का यह दायित्व था कि वह राजस्व कर्मचारियो से रेस्पोडेन्ट के हक हिस्से में रखी गयी भूमि की भौतिक स्थिति की मौका रिपोर्ट मंगवाते, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की आपति को यह कहकर निरस्त कर दिया कि दुबारा विभाजन प्रस्ताव में प्रतिवादी (अपीलान्ट) का भी हिस्सा पृथक कर प्रस्तावित किया गया है जो कि प्राथमिक निर्णय का पालना हो गयी है। प्रतिवादी द्वारा के केवल मात्र मौखिक कथन उल्लेखित किये गये है जो स्वीकार योग्य नही है। यह उल्लेखनीय है कि विभाजन प्रस्ताव में खसरा नंम्बर 1072/419 में जो हिस्सा अपीलान्ट के हिस्से में रखा गया है, उसमें आने

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

जाने हेतु रास्ते का कोई प्रावधान विभाजन प्रस्ताव में नही रखा है, जिससे राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 06.11.2004 का पालना नही की गयी है। रास्ते की अनुपस्थिति में विभाजन का उद्देश्य पूरा नही होता है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवम् डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 47/2023 अनवान शंकरसिंह बनाम भोपालसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 दिसंबर 2025 को अपास्त किया जावे एवं मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पो. संख्या दो के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियॉ प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आपत्तियों को स्वीकार करते हुए तहसीलदार से पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये है। तहसीलदार पचपदरा द्वारा विचारण न्यायालय के निर्देशों की पालना में विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट की ओर से पुनः प्रस्तुत आपतियों का निस्तारण करत हुए विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किये गये है। लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अपीलांट की ओर से विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03.12.2024 पर आपत्तियां प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2025 को उक्त आपत्तियॉ स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा से पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये है। विचारण न्यायालय के उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार पचपदरा द्वारा दिनांक 18.09.2025 को पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना प्रकट होता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18.09.2025 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार पचपदरा द्वारा दिनांक 11.09.2025 को पक्षकारान् को नोटिस जारी कर उन्हें सूचित करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना मौके पर पक्षकारान् के कब्जे काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना प्रकट होता है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट की ओर से पुनः प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री गुणावगुण पर विधि सम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट गुणावगुण पर सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 47/2023 अनवान शंकरसिंह बनाम भोपालसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 दिसंबर 2025 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायाधिकारी